

::प्रमाण-पत्र::

अधिशाली अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग थत्तूड के पत्रांक 779/21सी0 दिनांक 27 मई 2016 के द्वारा जनपद में जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.205हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.090हे0 सिविल सोयम भूमि कुल 2.295हे0 वन एवं सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

जिला	प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई (मी0में)	चौड़ाई (मी0में)	क्षेत्रफल (हे0में)
01	02		03	04	05	06
टिहरी गढ़वाल	मसूरी वन प्रभाग	रायपुर राजि	रिंगालगढ़ कक्ष सं0 4	2450.00	9.00	2.205
योग						2.205

सिविल सोयम भूमि का विवरण:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल रक्वा (हे०में)	याचित रक्वा (हे०में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7
रिंगालगढ़	सकलाना	04	3334	0.119	0.0225	उत्तराखण्ड सरकार सिविल भूमि
			3349	0.231	0.0225	
			3446	0.030	0.0162	
			3447	0.031	0.0144	
			3440	0.018	0.0144	
योग					0.090	

इस कार्यालय के आदेश संख्या-233/स्टाम्प (2015-16) दिनांक 16 जून 2016 के अन्तर्गत तहसील धनौली के ग्राम रिंगालगढ़ की अकृषि भूमि का मूल्य रु 55,00,000.00 (पचपन लाख रुपये मात्र प्रति हे0) निर्धारित है। इस प्रकार उक्त ग्राम की 2.205हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.090हे0 सिविल सोयम भूमि कुल 2.295हे0 वन एवं सिविल सोयम भूमि का मूल्य 1,26,22,500.00 (एक करोड़ छब्बीस लाख बाईस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) आंकलित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है।

क्रमांक- 3508/XXVI-122(24516)

दिनांक- 19/8/16


जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।